दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(Govt. of India Undertaking)
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय : न्यु इन्डिया एश्योरन्स बिल्डिंग, 87, महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
Regd. & Head Office : New India Assurance Bldg., 87, M.G. Road, Fort, Mumbai - 400 001.
CIN No. L66000MH1919GOI000526

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Phone : 022 2270 8100
022 2270 8400
Website : www.newindia.co.in

Ref. No.: NIACL/CMD_BoardSectt/2022-23 02nd August, 2022

To,

The Manager
Listing Department
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai 400 001

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th floor, Plot C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400 051

Scrip Code: (BSE – 540769/NSE – NIACL)

Dear Sir/Madam,

Sub: : Newspaper Cutting regarding Notice of Board Meeting to be held on 10th August, 2022

This has reference to our letter dated 01.08.2022 whereby we informed you that Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday, 10th of August, 2022 through Video Conferencing inter alia,

- To consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2022.
- To consider the record date for payment of Dividend for FY 2021-22.
- To transact any other matter which the board may deem fit.

The Notice has also been published in the "Financial Express" (English), "Loksatta" (Marathi) and "Jansatta" (Hindi) on 02.08.2022 and the said notice is also available on Company's website at www.newindia.co.in.

A copy of the aforesaid Newspaper cuttings is enclosed.

This is for your information and records.

Thanking You
Yours faithfully

For The New India Assurance Company Limited

THE NEW INDIA ASSU. CO. LTD. H. O. MUMBAI

Jayashree Nair
Company Secretary & Chief Compliance Officer

● CURRENT COAL STOCK SITUATION COMFORTABLE

Coal import order to be relaxed, no change in blending norm

INDRONIL ROYCHOWDHURY
Kolkata, August 1

WITH COAL STOCKS at thermal power stations at a comfortable level, the power ministry is likely to relax the directive to gencos to step up coal imports. However, the stipulation that 10% of coal should be sourced via imports will remain unchanged.

A power ministry official told FE that blending is a technical requirement related to the boiler design and it has nothing to do with the stock position. The country's thermal power plants have been blending 10% imported coal with the total domestic coal required for years, he said. Cutting down on imports for blending would mean feeding the power plants with more domestic coal and the stock situation may not permit it, the official added.

Power plants of NTPC and DVC have already placed import orders of more than 75% of the estimated requirement of imports and many state gencos have done so. But state gencos with weak financial health have neither been able to place import orders nor have been able to build up enough stock with domestic coal, since those plants have not been able to clear Coal India (CIL) dues.

As of July 30 this year, total coal stock at CEA-monitored thermal power plants was at 29.6 million tonne. Coal inventory at CIL's pitheads stood at 36 MT at the end of July and around 11.5 MT of coal was available at various loading points awaiting shipment. Higher supplies from CIL helped building stock at power plants to the tune of 1,04,000 tonne per day during July this year, the highest for this fiscal, a CIL executive said.

"The current coal stock situation is comfortable to meet the present trend of demand, if there is no sudden generation spike as witnessed in August last year, when stock at power plants plummeted by 11.2 MT in a month. With 6 MT on tap, coal import orders in place, with scalable option up to 12 MT, CIL is closely monitoring the supply situation to power plants to handle any surge in demand," the CIL official said. The PSU miner produced 207.1 MT of coal during April-July this fiscal, 40.5 MT more than what was produced a year ago during the same period. This has been a 24.3% growth compared to 166.6 MT of April-July.

For July, CIL produced 47.3 MT of coal, a 4.7 MT jump over 42.6 MT in the same month previous year, logging 11% output growth. The output growth has maintained the double digit streak for the fourth month this fiscal, despite the monsoon slowing down its production.

CIL supplied 199.4 MT to this sector progressively till July, posting 19.2% growth. This is a 32 MT increase in absolute terms, compared to 167.3 MT supplied in April-July last fiscal.

CIL's supplies to coal-fired plants during the referred period were at par with the enhanced requirement projected. The company logged a year-on-year supply growth of 19% in July to power plants at 47 MT, a CIL executive said.

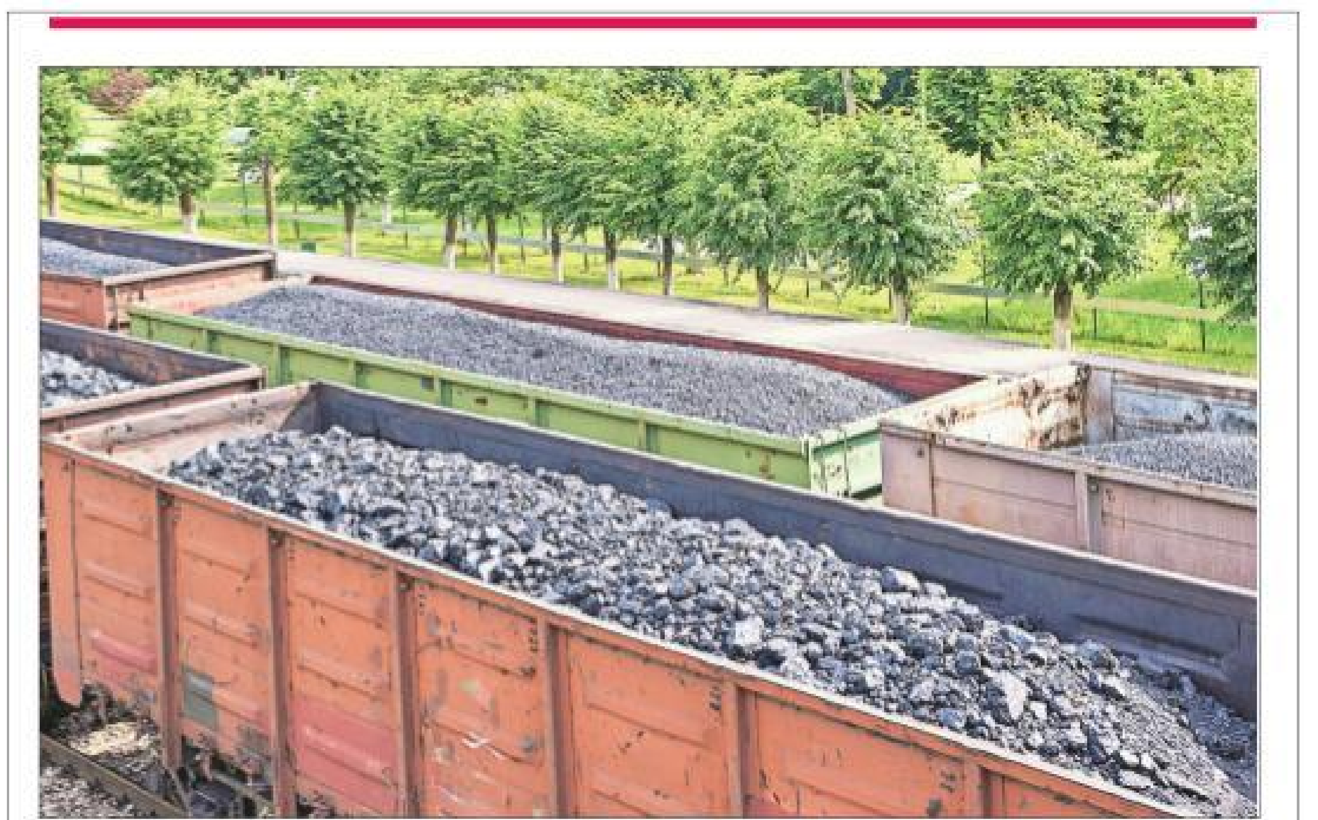

■ Blending is a technical requirement related to the boiler design and it has nothing to do with the stock position

■ Cutting down on imports for blending would mean feeding the power plants with more domestic coal and the stock situation may not permit it

■ Power plants of NTPC and DVC have already placed import orders of more than 75% of the estimated requirement of imports

58.3 million income tax returns filed by July 31

A record of 7.24 million ITRs filed on a single day

FE BUREAU
New Delhi, August 1

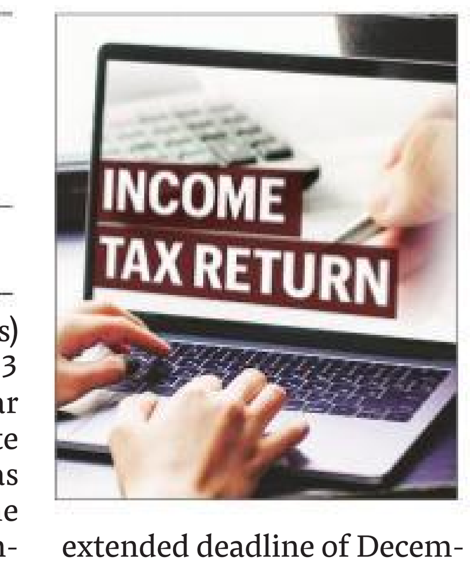

INCOME TAX RETURNS (ITRs) filed by taxpayers stood at 58.3 million for assessment year (AY) 2022-23 by the due date of July 31, nearly the same as for AY 2021-22 by the extended due date of December 31, 2021.

Over 7.24 million ITRs, a new record, were filed on a single day — July 31, 2022 — which was the due date for salaried taxpayers and other non-tax audit cases.

Of the 58.3 million ITRs filed for AY 2022-23, 50% are ITR-1, 11.5% are ITR-2, 10.9% are ITR-3, 26% are ITR-4, ITR-5 to 7, the Central Board of Direct Taxes said in a statement.

In AY 2021-22, 58.9 million ITRs were filed by the extended deadline of December 31.

This year, a large portion of the data for ITR-1 was already prefilled with salary, interest and dividend income making compliance easier for taxpayers. For other ITRs 2, 3, 4, apart from this data, property details for rental income, brought forward losses, MAT credit was also pre-filled to further ease compliance for taxpayers.

About 39.6 million returns have been e-verified, out of which more than 37.1 million are through Aadhaar based OTP (94%). Of the e-verified ITRs, more than 30.1 million ITRs for AY 2022-23 have been processed (75%).

In several instances, taxpayers have been getting their intimation of processing within a few minutes or hours after filing and verification of ITRs.

Further, the new facility for making tax payment (TIN 2.0) has been launched on the e-filing portal with two banks- Kotak Mahindra Bank and Federal Bank. Over 73,910 challans have been received through these banks till July 31st, 2022 totalling to ₹5,18.5 crore.

The number of ITRs filed during working hours (9 AM-6 PM) since 7th July, 2022 to 31st July, 2022 is around 33.1 million, which is 58.77% of the total ITRs filed. Over 47% of these ITRs have been filed using the online ITR form on the portal and the balance have been uploaded using the ITR created from the offline software utilities.

ATF price cut by steep 12%

FE BUREAU
New Delhi, August 1

IN WHAT COULD give relief to the airlines and hotels & restaurants battling high input costs, oil marketing companies (OMCs) have reduced aviation turbine fuel (ATF) prices by around 12% and the rate for standard commercial LPG cylinders by 1.8% with effect from Monday.

The price of domestic LPG cylinder and petrol & diesel at the retail level has, however, been kept unchanged.

The prices of jet fuels have been reduced for the second time in as many weeks. On July 16, the prices were reduced by 2.2%.

Following the latest reduction, ATF now costs ₹1,21,915.75 per kilo litre (KL) in Delhi, the latest price notification by state-run fuel retailers showed. It will cost ₹1,20,875.86/KL in Mumbai, ₹1,26,516.29 per KL in Chennai and ₹1,28,425.21 per KL in Kolkata.

ATF prices are revised on the first and 16th of every month based on benchmark international oil rates in the previous fortnight. The benchmark crude prices have softened to around $103/barrel now. ATF constitutes almost 40% of the operating cost of an airline. In all, ATF rates have been increased eleven times since the start of the year.

Meanwhile, the price of commercial LPG cylinder (19 kg) has also been reduced by ₹36 a cylinder on Monday, for the fourth time since May, following a stiff ₹198 a cylinder reduction with effect from July 1. Following the reduction, a 19 kg cylinder now costs ₹1,976.5 per cylinder in Delhi.

According to Indian Oil Corporation (IOCL), the price has also been reduced in the same range in other metros. Commercial LPG rates are revised once a month.

This is the fourth reduction in commercial LPG prices in three months. Following July 1, prices were reduced by ₹8 per cylinder on July 6. On June 1, the price was reduced by ₹135 a cylinder in Delhi.

A 14.2 kg LPG cylinder now costs ₹1,053 in Delhi, ₹1,079 in Kolkata, ₹1,052.5 in Mumbai and ₹1,068.5 in Chennai.

Wheat prices ruling high, as no open market sales by FCI

SANDIP DAS
New Delhi, August 1

THE FOOD CORPORATION of India's (FCI) decision not to undertake open market sales of wheat to bulk buyers this fiscal because of low stock levels has forced flour millers to buy grain from traders at higher prices.

In the last decade, because of robust procurement of wheat, FCI has been selling surplus wheat stock in the open market after the procurement season (April-June) are over at a reserve price which covers Minimum Support Price (MSP), transportation and other costs.

In FY22, FCI had sold more than 7 million tonne (MT) of wheat in the open market for which price was fixed around 8% more than the MSP of year of procurement of the grain. This fiscal, FCI had fixed the reserve price of wheat at ₹2,200 per quintal till October 2022 against the MSP of ₹2,015 a quintal.

With the FCI's decision to discontinue OMSS because of a plunge in wheat stocks because of lower procurement this season, flour millers are depending on private traders to buy their wheat requirement.

"We are currently sourcing wheat around ₹2,300 a quintal in Delhi against the MSP of ₹2,015 a quintal," Ajani Agarwal, president, Roller Flour Millers Federation of India, told FE.

He said that prices are expected to rise in coming months because of tight supply situations compounded by FCI's inability to sell grain in the open market this fiscal, first in the last decade. Meanwhile, wheat prices across many mandis witnessed a sharp spike last week to cross a record ₹2,300 a quintal-mark, due to slower supplies and robust demand. The prices are now 14% above MSP.

According to officials, wheat supplies to mandis have declined in recent weeks as traders are holding on to stocks purchased from the farmers by paying a premium over the MSP in anticipation of export possibilities.

In the current Rabi marketing season (April-June) for 2022-23, wheat procurement by the government agencies dropped by more than 56.6% to only 18.78 MT against 43.34 MT purchased from the farmers in the previous year.

The government placed curbs on exports of wheat in May, even as the global markets looked very remunerative to exporters. The move was in view of local supply constraints.

Domestic supplies of wheat have been impacted by lower production because of the heatwave witnessed in March, considered as the maturing stage of the crop.

On July 1, wheat stocks in the central pool stood at 28.5 MT against the buffer norm of 27.5 MT, the lowest since 2008.

According to agriculture ministry data, wheat output in the 2021-22 crop year (July-June) declined by around 3% on year to 106 MT from 109 MT.

According to traders' estimates, wheat production this year is around 98-99 MT while the US Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service has estimated India's wheat production at 99 MT.

Open market sale of wheat by FCI

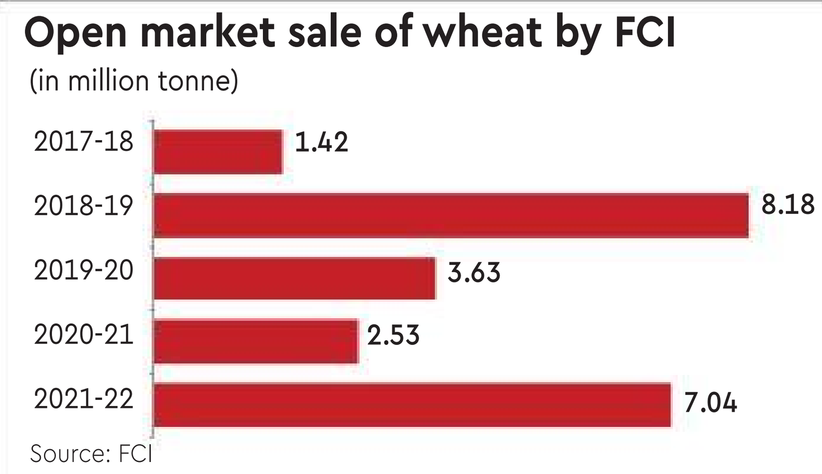

PAEG seeks immediate allocation of additional funds under MG-NREGS

FE BUREAU
New Delhi, August 1

AS NEARLY TWO-THIRDS of the ₹73,000 crore budgetary allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MG-NREGS) has already been used up in the first four months of the current fiscal, an activists' group has demanded immediate allocation of additional funds under the scheme that provides livelihood security to rural households.

Taking into actual expenditure till July 21 of the current fiscal and pending payments of the current and previous fiscals, a total of ₹48,502 crore or 66.44% of the allocated fund has already been spent under the scheme, People's Action for Employment Guarantee (PAEG) has found.

"The provisioning (for the current fiscal) has been significantly less than required, despite soaring demand for employment in recent years," PAEG said.

MG-NREGS is a demand-driven wage employment programme which provides livelihood security of rural households by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work.

It provides fall back options for livelihood, when no better employment opportunity is available.

Auguste Tano Kouamé takes over as World Bank's country director for India

FE BUREAU
New Delhi, August 1

THE WORLD BANK has appointed Auguste Tano Kouamé its country director for India, the multilateral body said in statement on Monday. He replaced Junaid Kamal Ahmad who recently completed a five-year term.

Auguste recently served as the World Bank's country director for Turkey. Prior to this, he served as the director of the department of human development and economic management in the World Bank Group's Independent Evaluation Group (IEG) from January 2017 to April 2019.

"The bank stands ready, through strategic programmes and knowledge products, to support India's ambitions of becoming an upper middle-income country and a global leader on the climate agenda," said Auguste, affirming the bank's continued support for India's development achievements as the country recovers from the pandemic blues.

"As India takes over the Presidency of the G20 later this year, the bank, globally, looks forward to supporting India in this leadership role." he added.

India is the World Bank Group's largest client with a portfolio that includes lending of $3.98 billion from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), and $83 million from the International Development Association last fiscal (July 2021-June 2022), according to the bank's data.

Sea TV Network Ltd.
Regd. Office: 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010
Tel: +91-562-4036666 Fax: +91-562-4036666
Website: www.seatvnetwork.com
CIN : L92132UP2004PLC028650

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 33 and Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at registered Office of the Company 148 MANAS NAGAR SHAHGANJ AGRA UP 282010 IN on Wednesday 10th of August, 2022 at 12.10 P.M., to inter-alia consider and approve the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the First quarter ended as on 30th June, 2022. Further details will be made available at the website of the company viz. www.seatvnetwork.com and the website of the stock Exchange where the Company's shares are listed viz. www.bseindia.com

Place : Agra
Date : August 01st, 2022

By Order of the Board
For, Sea TV Network Ltd.
Sd/-
SNEHAL AGARWAL
(Company Secretary & Compliance Officer)

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

Regd. & Head Office : 87, M. G. Road, Fort Mumbai - 400 001
CIN No. : L66000MH1919GOI000526, IRDA Reg. No. : 190
Tel: +91 22 22708263; Fax: +91 22 22652811
Email : investors@newindia.co.in; Website : www.newindia.co.in

Notice of Board Meeting to be held on the 10th August, 2022

NOTICE is hereby given that pursuant to relevant regulations of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, 10th of August, 2022** inter alia:

- To consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2022.
- To consider the record date for payment of Dividend for FY 2021-22
- To transact any other matter which the board may deem fit.

A copy of the said notice is also available on Company's website at www.newindia.co.in.

Date: August 01, 2022
Place : Mumbai

For The New India Assurance Co Ltd.
Sd/-
Jayshree Nair
Company Secretary

ITC Limited

Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 Months ended 30.06.2022	Twelve Months ended 31.03.2022	Corresponding 3 Months ended 30.06.2021	3 Months ended 30.06.2022	Twelve Months ended 31.03.2022	Corresponding 3 Months ended 30.06.2021
1	Total Income from Operations	18632.85	62335.53	13388.14	20152.00	67041.31	14687.80
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	5539.55	19829.53	4015.35	5950.49	20722.99	4467.31
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	5539.55	19829.53	4015.35	5950.49	20722.99	4467.31
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	4169.38	15057.83	3013.49	4472.03	15503.13	3344.15
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3833.66	15631.68	3190.12	3916.47	15583.80	3577.97
6	Equity Share Capital	1233.79	1232.33	1230.88	1233.79	1232.33	1230.88
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		60167.24			61223.24	
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (not annualised):						
	1. Basic (₹):	3.38	12.22	2.45	3.56	12.37	2.66
	2. Diluted (₹):	3.38	12.22	2.45	3.56	12.37	2.66

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of the Statements of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Unaudited Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 1st August, 2022. The full format of the Statements of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.itcportal.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and The Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com).

b) The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been completed and the related Reports have been forwarded to the Stock Exchanges. These Reports do not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended 30th June, 2022 which needs to be explained.

Registered Office:
Virginia House, 37 J. L. Nehru Road,
Kolkata 700 071, India
Dated: 1st August, 2022
Place: Kolkata, India

For and on behalf of the Board

Sd/-
Director & Chief Financial Officer

Sd/-
Chairman & Managing Director

Website: www.itcportal.com | E-mail: enduringvalue@itc.in
Phone: +91-33-2288 9371 | Fax: +91-33-2288 0655 | CIN: L16005WB1910PLC001985

Enduring Value

FMCG | Hotels | Paperboards & Packaging | Agri Business | Information Technology

शराब विक्रेताओं और पब के लाइसेंस एक महीने के लिए बढ़े

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को शराब की निजी दुकानों के साथ–साथ होटल और बार के आबकारी लाइसेंस को एक महीने के लिए बढ़ाने के दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी ।

इसके साथ ही शहर में शराब की आपूर्ति फिर से शुरू हो जाएगी। लाइसेंस के अभाव में राजधानी में सोमवार को अनौपचारिक तौर पर 'ड्राई डे' रहा। बार, पब, रेस्त्रां और होटल में सोमवार को शराब नहीं परोसी गई और न ही कोई इसे खरीद सका, क्योंकि इनके लाइसेंस 31 जुलाई को समाप्त हो गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आबकारी नीति 2021–22 को एक महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रविवार की देर रात मंजूरी के वास्ते उपराज्यपाल को भेजा था। आबकारी विभाग ने

अब तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है।

जब तक ऐसा आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक होटल और पब में शराब नहीं परोसी जा सकती है और न ही ठेकों में बेची जा सकती है।

कुछ रेस्त्रां मालिकों का कहना है कि लाइसेंस की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रक्रिया ।आनलाइन की जाएगी, जिसे पूरा होने में एक से दो दिन का समय लगेगा, इसका मतलब यह है कि लोगों को शराब के लिए इंतजार करना होगा। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने बताया–31 जुलाई को समाप्त हुए मौजूदा लाइसेंस को देखते हुए और प्रशासन में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस विस्तार को अनिवार्य रूप से एक सीमित

दिल्ली सरकार के फैसले को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी। दिल्ली में शराब की आपूर्ति अब फिर से शुरू हो जाएगी।

अस्थायी उपाय के रूप में मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि उपराज्यपाल ने महसूस किया है कि 'स्टाक क्लीयरेंस' के लिए मौजूदा खुदरा और थोक लाइसेंस के कार्यकाल को एक महीने के लिए बढ़ाने और खुदरा तथा थोक ठेके को बंद होने से बचाने के लिए रविवार के दिल्ली मंत्रिमंडल के फैसले से सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही शहर में शराब की अनुपलब्धता के कारण किसी भी तरह की कानून–व्यवस्था बिगड़ने रोकने के लिए भी यह निर्णय किया गया है।

दिल्ली सरकार एक सितंबर से पुरानी आबकारी नीति की व्यवस्था को वापस लाएगी और शराब की दुकानों का संचालन करेगी।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा

रेहड़ी–पटरी वालों की दिक्कतों पर पुलिस आयुक्त से करेंगे चर्चा

नई दिल्ली, 1 अगस्त (भाषा)।

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों द्वारा रेहड़ी–पटरी वालों के खिलाफ कथित कार्रवाई का मुद्दा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के समक्ष उठाएंगे।

पुरी ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि वे रेहड़ी–पटरी वालों के सम्मान की रक्षा के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि रेहड़ी–पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जरिए लघु उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वनिधि योजना 2020 में शुरू की गई थी और इसके तहत ऐसे रेहड़ी–पटरी वालों को उनकी आजीविका शुरू करने के लिए किफायती ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है जो कोविड संबंधी पूर्णबंदी के कारण प्रभावित हुए थे।

आम आदमी पार्टी के सदस्य नारायण दास गुप्ता ने पूरक सवाल किया था कि क्या केंद्र ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को रेहड़ी–पटरी वालों को हटाने का निर्देश दिया है। इस पर पुरी ने कहा कि उनका ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और वह रेहड़ी–पटरी वालों के मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि रेहड़ी–पटरी वाले शहरी निकायों और पुलिस अधिकारियों के निशाने पर हैं। हम (इसे) बदलने जा रहे हैं। जहां तक दिल्ली के मुद्दे का संबंध है, हम निश्चित रूप से बातचीत करेंगे।'

पुरी ने स्वनिधि योजना के सफल कार्यान्वयन का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक 32 लाख रेहड़ी–पटरी वालों को करीब 3,683 करोड़ रुपए की राशि ऋण के रूप में दी गई है।

30 जुलाई तक डेंगू के 170 मामले

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

वर्ष 2017 के बाद से इस अवधि के लिए यह मामले सर्वाधिक

दिल्ली में इस साल 30 जुलाई तक डेंगू के लगभग 170 मामले सामने आए हैं, जो 2017 के बाद से इस अवधि के लिए सर्वाधिक हैं।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई में डेंगू के कम से कम 26 मामले सामने आए। जबकि मलेरिया के छह और चिकनगुनिया के एक ही मामले अभी तक सामने आए हैं।निगम की रिपोर्ट के अनुसार शहर में जनवरी में डेंगू के 23, फरवरी में 16, मार्च में 22, अप्रैल में 20, मई में 30 और जून में 32 मामले सामने आए। 25 जुलाई तक कुल 159 मामले सामने आए थे। इस तरह, एक सप्ताह में 10 नये मामले सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में 2017 में एक जनवरी से 30 जुलाई के बीच डेंगू के 185 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल एक जनवरी से 30 जुलाई के बीच डेंगू के 52 मामले सामने आए थे।

इससे पहले 2020 में इस अवधि के दौरान 31, जबकि 2019 में 40 और 2018 में 56 मामले सामने आए थे।

विदेश यात्रा के लिए केंद्र की अनुमति के प्रावधान को अदालत में चुनौती

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेने से संबंधित प्रावधान को सोमवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 31 जुलाई से 7 अगस्त तक 8वें विश्व शहर शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि यह इस तरह विशेषाधिकार के दुरुपयोग का पहला उदाहरण नहीं है और मुख्यमंत्री को 2019 में कोपेनहेगन में सी – 40 विश्व महापौर शिखर सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति से इनकार कर दिया गया था। यााचिका में दावा किया गया है कि गहलोत ने ट्रांसपोर्ट फार लंदन के निमंत्रण पर लंदन जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गहलोत ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत और

गहलोत ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत और आधिकारिक यात्राओं की अनुमति देने या अनुमति नहीं देने की केंद्र सरकार की शक्ति के संबंध में उचित दिशा–निर्देश तैयार करने की मांग की है।

इस मामले में गहलोत का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया।

आधिकारिक यात्राओं की अनुमति देने या अनुमति नहीं देने की केंद्र सरकार की शक्ति के संबंध में उचित दिशा–निर्देश तैयार करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करे, जिसमें व्यक्तिगत विदेश यात्राओं की अनुमति से संबंधित मांग की गई हो। इस मामले में गहलोत का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 अगस्त को सूचीबद्ध किया है।

खालिद की याचिका का विरोध करते हुए पुलिस की दलील

आरोपियों के भाषणों का सार मुसलिम समुदाय में डर की भावना पैदा करना था

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से में फरवरी 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की कथित साजिश रचने के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत आरोपित विभिन्न लोगों की ओर से दिए गए भाषणों में एक बात आम थी और ''उनका सार मुसलिम आबादी में भय की भावना पैदा करना था।

''जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन ने कहा कि फरवरी 2020 में खालिद ने अमरावती में जो भाषण दिया था वह '' बहुत नपा तुला भाषण' था जिसमें बाबरी मस्जिद, एक बार में तीन तलाक देना, कश्मीर, मुसलमानों का दमन, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) समेत विभिन्न बिंदु शामिल थे। यह दलीलें न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की

उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पों के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग जख्मी हुए थे।

पीठ के समक्ष दी गई हैं। यह पीठ खालिद की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें निचली अदालत के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई है।

निचली अदालत ने खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में सीएए के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पों के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और करीब 700 लोग जख्मी हुए थे।

खजूरी खास : स्कूल बैग कारखाने में काम करने वाले श्रमिक की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास में 22 वर्ष के एक व्यक्ति की कुछ लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मृतक की पहचान बिहार के पूर्णिया निवासी अनवारुल हक के रूप में हुई है।

पुलिस ने कहा कि हक बिहारीपुर स्थित एक फैक्टरी में काम करता था, जहां स्कूल बैग बनाए जाते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई को खजूरी खास पुलिस थाने में एक 'पीसीआर काल' आई थी कि एक व्यक्ति को कुछ लड़कों ने चाकू मार दिया है। पुलिस का एक दल तत्काल मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक लोगों ने घायल व्यक्ति को एक अस्पताल पहुंचा दिया था। उन्होंने बताया कि हालांकि, उस व्यक्ति को अस्पताल में मृत

पुलिस अधिकारी ने कहा कि 'सीसीटीवी फुटेज' में कुछ लड़के अनवारुल हक पर चाकुओं से हमला करते और मौके से भागते दिखे।

घोषित कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान टीम ने मौके पर लगे कई 'सीसीटीवी फुटेज' खंगाले। अधिकारी ने कहा कि एक फुटेज में कुछ लड़के हक पर चाकुओं से हमला करते और मौके से भागते हुए दिखे। संदिग्धों की पहचान कर ली है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा।

कोरोना के 822 नए मामले, संक्रमण दर ग्यारह फीसद के पार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 अगस्त।

दिल्ली में कोरना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को कोरोना संक्रमण के कुल 822 नए मामले आए हैं, लगातार दूसरे दिन दो लोगों की मौत हो गई और संक्रमण दर दो फीसद से बढ़कर 11.41 फीसद तक पहुंच गई है। हलांकि दिल्ली में केवल 7,205 संक्रमण जांच की गई। जबकि रविवार को कोरोना संक्रमण के कुल 1,263 नए मामले आए थे और संक्रमण दर 9.35 फीसद तक पहुंच गई। वहीं, दो लोगों की बीमारी के चलते जान चली गई थी। रविवार को दिल्ली में केवल 13,511 संक्रमण जांच की गई थी। रपट के मुताबिक इस समय दिल्ली भर में 3,161 ऐसे मरीज हैं जिनका उपचार घर में एकांतवास में किया जा रहा है और 307 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। दिल्ली में अब तक कुल संक्रमितो की संख्या 19,26,006 पहुंच गई है।

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
CIN: L35999HR1998PLC033943
पंजी. कार्यालय: 458–1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम–122001, हरियाणा, भारत
ईमेल आईडी: info@jmaindia.com; वेबसाइट: www.jmaindia.com;
फोन नं.: 0124-3019210, 4233867-70

73वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड के सदस्यों की तिहत्तरवीं (73वीं) वार्षिक आम बैठक **("एजीएम")** गुरूवार, 25 अगस्त, 2022 को प्रातः 11:00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिस प्रयोजन के लिए 458–1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम–122001, हरियाणा, भारत में स्थित पंजीकृत कार्यालय बैठक के लिए स्थल माना जाएगा और वहां पर एजीएम की कार्यवाही की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

73वीं वार्षिक रिपोर्ट जिसमें एजीएम की सूचना, वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित), लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर बोर्ड की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजो के साथ शामिल ई–वोटिंग तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के दिशानिर्देश सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिये गये हैं जिनके ई–मेल आईडी 29 जुलाई, 2022 को कंपनी/ डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त वर्णित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jmaindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp पर भी उपलब्ध हैं और डाउनलोड किये जा सकते हैं।

एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा लाभांश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए ई–मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रियाः

1. सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के माध्यम से भौतिक प्रारूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए स्थायी खाता संख्या ("पैन") और बैंक खाता विवरण का पंजीकरण अनिवार्य किया है। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 2021 एवं 14 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से भौतिक प्रारूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए कोई भी निवेशक सेवा का लाभ उठाने के लिए पैन, नामांकन विवरण, सम्पर्क विवरण (पते के साथ पिन, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल पता), बैंक खाता विवरण तथा नमूना हस्ताक्षर जमा करना अनिवार्य किया है। जिन फोलियो में उपर्युक्त में से कोई एक विवरण 1 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा। उपरोक्त विवरण जमा करने के लिए संगत निर्धारित प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.jmaindia.com पर उपलब्ध हैं। संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त वर्णित विवरणों को विधिवत् भरे गये एवं हस्ताक्षरित निर्धारित फॉर्म के द्वारा दस्तावेज अपने पंजीकृत ई–मेल पते के माध्यम से कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को उनके पंजीकृत ईमेल पते investor@masserv.com पर भेजकर या आरटीए कार्यालय टी–34, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–2, नई दिल्ली–110020 में भौतिक प्रतियां जमा करके उपरोक्त विवरण को पंजीकृत/अपडेट कराएं।
2. डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संगत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना पैन, नामांकन विवरण, सम्पर्क विवरण (पते के साथ पिन, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल पता), बैंक खाता विवरण तथा नमूना हस्ताक्षर पंजीकृत/अपडेट कराएं।

बुक क्लोजर एवं कट–ऑफ तिथिः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 ओर सेबी सूचीयन विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रूपये 02/– प्रत्येक, पूर्णतः प्रदत्त के रूपये 02/– (अर्थात् 100 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश, यदि घोषित हो जाता है, के लिए सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के प्रयोजन हेतु गुरूवार, 18 अगस्त, 2022 कट–ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित की है। इसके साथ 73वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रिकार्ड लेने हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 19 अगस्त, 2022 से गरूवार, 25 अगस्त, 2022 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

ई–वोटिंगः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित सेबी सूचीयन विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों/प्रस्तावों के निष्पादन हेतु कट–ऑफ तिथि अर्थात् गुरूवार, 18 अगस्त, 2022 को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही हैः

(ए) **रिमोट ई–वोटिंगः** रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 22 अगस्त, 2022 (प्रातः 9.00 बजे) से प्रारंभ होगी और बुधवार, 24 अगस्त, 2022 (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा।

(बी) **एजीएम में ई–वोटिंगः** उन सदस्यों के लिए एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई–वोटिंग प्रक्रिया लिए मैसर्स विजय के. सिंघल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (श्री विजय के. सिंघल, मालिक) को समीक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए ईमेल में निहित है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.jmaindia.com पर भी उपलब्ध है। कोई भी सदस्य जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् गुरूवार, 18 अगस्त, 2022 को शेयर धारण करता है, वे एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड जेनरेट कर सकता है।

ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evotingindia.com पर हेल्प सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई–वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं, ई–मेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल भेज सकते हैं। विकल्पतः वे श्री दीपांशु रस्तोगी, सहायक प्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए से investor@masserv.com पर या टेलीफोन नं. 011-26387281/82/83 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते और बोर्ड की ओर से
जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
हस्ता/–
रामकेश पाल
कंपनी सचिव
(एम. नं0. ए40120)

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 01 अगस्त, 2022

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

पंजीकृत और मुख्य कार्यालय : ८७, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई – ४००००१
सीआयएन क्र. : एल६६०००एमएच१९१९जीओआय००५२६, आयआरडीए नोंदणी क्र.: १९०
टेलि: +९१ २२ २२७०८२६३; फॅक्स : +९१ २२ २२६५२८११
ईमेल : investors@newindia.co.in; वेबसाईट : www.newindia.co.in

१० अगस्त, २०२२ के दिन होने वाले संचालक मंडल के मीटिंग की सूचना

सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) नियमावली, २०१५ के संबंधीत नियमों के अनुसार इसके जरिए सूचना दी जा रही है की कंपनी के संचालक मंडल की बैठक **बुधवार, १० अगस्त २०२२ के दिन** नीचे दिये गये विषयों के लिये होगी:

- ३० जून २०२२ के दिन खत्म हुऐ त्रैमासिक के लिये कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तिय निष्कर्ष पर विचार कर के उसको संमत करने के लिये.
- वि व २०२१-२२ के लाभांश के भुगतान के लिये रेकोर्ड डेट पर विचारविमर्श करना.
- बोर्ड को उचित लगने वाले अन्य किसी भी विषय पर चर्चा

इस सूचनेची प्रत कंपनी के www.newindia.co.in इस वेबसाईट पर भी उपलब्ध है.

दि न्यू इंडिया अश्युरन्स कं. लि.
सही/–
जयश्री नायर
कंपनी सचिव

दिनांक : अगस्त, ०१ २०२२
ठिकाण : मुंबई

नियुक्तियां

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. L64202DL2000GOI107905

No.RCIL/2022/P&A/01/ WR नियुक्तिया दिनांक:27.07.2022

रेलटेल भर्ती 2022 | इंजीनियर और अन्य पद | कुल रिक्तियां 18 पद |
अंतिम तिथि: 17.08.2022 | www.railtelindia.com.

रेलटेल भर्ती 2022: रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंजीनियर और ऑपरेशन / प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे निम्नलिखित पद के लिए ओपन मार्केट से अनुबंध के आधार पर गतिशील पेशेवर की तलाश कर रहा है। हाल ही में इसने उपरोक्त पदों के लिए 27.07.2022 को नया नोटिस (रिक्ति सूचना संख्या RCIL/2022/P&A/01/WR) जारी किया है। अधिसूचना के अनुसार, रेलटेल द्वारा 18 रिक्तियों को भरा जाना है और पोस्ट वार रिक्ति विवरण www.railtelindia.com दिया गया है। कृपया अपना आवेदन डाक / कूरियर के माध्यम से अंतिम तिथि पर या उससे पहले जमा करें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17.08.2022 है।

वेस्टर्न रेलवे माइक्रोवेव कॉम्प्लेक्स, सेनापति बापट मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई–400013
फोन: 91 (22) 24923907 फैक्स: 91 (22) 24923913

वायुसेना विद्यालय नारायणा
वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली
(अंग्रेजी माध्यम सह–शिक्षा विद्यालय)

प्रधानाध्यापक की नियुक्ति (नियमित)

1. वायुसेना विद्यालय नारायणा, दिल्ली कैंट द्वारा प्रधानाध्यापक (परिवीक्षा के आधार पर प्रारम्भिक नियुक्ति) के नियमित पद हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. पद हेतु पात्रता एवं अन्य संबद्ध विवरण वायुसेना विद्यालय के वेबसाइट www.racecourseschools.in पर उपलब्ध है। वायुसेना स्टेशन रेस कोर्स नई दिल्ली के ड्रॉप बॉक्स/मेल (afsndelhi@gmail.com) / विद्यालय में आवेदन पत्र पहुँचने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 22 है।
3. भर्ती हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम एवं स्थायी होगा।

विद्यालय प्रबंधन

IDBI BANK **ई–नीलामी सूचना**
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, रिटेल रिकवरी, प्रथम तल, वीडियोकॉन टॉवर, ई –1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली –110055, फोनः 9810449799, 011-46465264

शुद्धिपत्र

यह संशोधन सूचना जनसत्ता अखबार में दिनांक 06.07.2022, मंगलवार को पेज नं. 12 में प्रकाशित दिनांक 18.08.2022 को होने वाली ई–निलामी सूचना के संदर्भ में है। इस सूचना में क्रम सं. 2, पर वर्णित उधारकर्ता **मैसर्स कनिका द्वादश** का नाम दिनांक 18.08.2022 को होने वाली ई–निलामी से तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है।

तिथिः 01.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः दिल्ली आई.डी.बी.आई बैंक

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/अपर कलेक्टर, लखनऊ

संख्या–384/रीडर–टी0जी0/2022 दिनांक 29 जुलाई 2022

नोटिस

1– श्री उदय प्रकाश मौर्या पुत्र गंगाराम मौर्या पता 28, शिवम नगर विजय नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ व ई–142 ट्रान्सपोर्ट नगर लखनऊ व हंसवा अमेठी उ0प्र0 व फ्लैट सं0 ई–7/जी–196, गोकुल ग्राम योजना–1 मुन्नू खेड़ा लखनऊ।

2– श्रीमती रेनू मौर्या पत्नी श्री उदय प्रकाश मौर्या पता 28, शिवम नगर विजय नगर, कृष्णा नगर, लखनऊ व हंसवा अमेठी उ0प्र0 व फ्लैट सं0 ई–7/जी–196, गोकुल ग्राम योजना–1 मुन्नू खेड़ा लखनऊ।

एतदद्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि एक्सिस बैंक लि0, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान अभी तक अदा नहीं किया गया है।

अतः आप दिनांक 17.08.2022 को समय 12.00 बजे दिन में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा–14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के संबंध मे दे दी जाय। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय मे उपस्थित नहीं होते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

(हिमांशु कुमार गुप्ता)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/अपर कलेक्टर, लखनऊ।

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक **punjab national bank** ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, 9/90, प्रथम तल, पी – ब्लॉक, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक, मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार **(1) श्रीमती लता महाजन (2) अनिल महाजन दोनो 4बी/46, प्रथम तल, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060 (3) श्रीमती लता महाजन प्रोप. साई ट्रेडर्स**, 10/54 बी डी चैंबर डी बी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005 को मांग सूचना दिनांक 09.07.2021 को जारी किया गया था, **जिसका विवरण नीचे नीचे वर्णित है:**

क्र.सं.	खाता नं.	सुविधा	दिनांक 30.06.2021 तक बकाया (रु. में)
1.	0148008700137012	Cash Credit	रु. 17,12,299.20
2.	014800NC00000646	Term Loan Housing	रु. 83,23,471.62
	कुल		रु. 1,00,35,770.82

जिसमें बकाया राशि रू. 1,00,35,770.82 (रु. एक करोड़ पैंतीस हजार सात सौ सत्तर और पैसे ब्यासी मात्र) दिनांक 30.06.2021 तक और भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति/नोटिस की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा कर्जदार/गांरटर/बंधककर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **01.08.2022** को कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गांरटर/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नैशनल बैंक मण्डल सस्त्रा केन्द्र, पश्चिमी दिल्ली, क्नॉट सर्कस, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते नीचे वर्णित राशि :**

क्र.सं.	खाता नं.	सुविधा	दिनांक 30.06.2021 तक बकाया (रु. में)
1.	0148008700137012	Cash Credit	रु. 17,12,299.20
2.	014800NC00000646	Term Loan Housing	रु. 83,23,471.62
	कुल		रु. 1,00,35,770.82

दिनांक 30.06.2021 तक और भविष्य का ब्याज, लागत और खर्चे प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत / टेरेस अधिकार के, उक्त निर्मित फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. 4–बी/46 में से, क्षेत्रफल 85.9 वर्ग गज, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060 में स्थित

दिनांक : 01.08.2022, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

अकरावी प्रवेशासाठी २ लाख ४७ हजार अर्ज

१४,२२६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : अकरावीची पहिली प्रवेश यादी बुधवारी जाहीर होणार असून यंदाही मुंबई विभागातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. अकरावी ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या असलेल्या २ लाख ३० हजार ९४५ जागांसाठी २ लाख ४७ हजार ९०७ विद्यार्थ्यांनी पसंतीक्रम भरून अर्ज अंतिम केले आहेत. दरम्यान, १४ हजार २२६ विद्यार्थ्यांनी विविध कोट्यांतून प्रवेश निश्चित केले आहेत.

राज्य मंडळाचा निकाल जाहीर झाल्यापासून प्रतीक्षेत असलेली अकरावी प्रवेशाची पहिली यादी अखेर बुधवारी जाहीर होणार आहे. यंदा मुंबई महानगर प्रदेशात अकरावीच्या एकूण ३ लाख ५७ हजार ९ जागा उपलब्ध आहेत. त्यापैकी २ लाख ३० हजार ९४५ जागा केंद्रीय फेरीसाठी, तर १ लाख ४० हजार २९० जागा विविध कोट्यांतील प्रवेशासाठी राखीव आहेत. यासाठी केंद्रीय प्रवेश फेरीसाठी २ लाख ४७ हजार ९०७ विद्यार्थ्यांनी पसंतीक्रम भरून अर्ज अंतिम केले आहेत.

यंदा ३ लाख ८ हजार ७२ विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा पहिला भाग भरला होता. त्यातील २ लाख ४७ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा दुसरा भाग भरून अर्ज अंतिम केला आहे. विविध कोट्यांतील प्रवेशासाठी ४१ हजार ९५५ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला आहे. या विद्यार्थ्यांची पहिली प्रवेश यादी बुधवारी जाहीर होणार असून त्यानंतर मिळालेल्या महाविद्यालयांत प्रवेश निश्चित करण्यासाठी तीन दिवस मिळणार आहेत.

जागा रिक्त राहणार?

गेल्यावर्षी दहावीचा निकाल शंभर टक्के जाहीर झाल्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांना गेली काही वर्षे प्रवेश क्षमता वाढवून देण्यात आली आहे. यंदाही दहावीचा निकाल वाढला असला तरी प्रवेश प्रक्रिया लांबली. त्याचबरोबर अकरावी व्यतिरिक्त व्यवसाय प्रशिक्षण, पदविका अभ्यासक्रमांकडेही विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढताना दिसतो आहे. त्यामुळे यंदा उपलब्ध जागांच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांचे अर्जही कमी असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर परिसरात अकरावीच्या लाखभर जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे.

नॉन क्रिमिलेअर देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत

अनेक विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलेअर दाखला मिळवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र भरून घेण्यात येणार असून त्यांना दाखला सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी मिळणार आहे.

पानसरे हत्या प्रकरण

तपास ‘एटीएस’कडे वर्ग करण्यास आक्षेप नाही

राज्य सरकारचा दावा

लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास राज्याच्या दहशतवादी विरोधी पथकाकडे (एटीएस) देण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यावर एटीएस अधिकाऱ्यांपैकी एखाद्या अधिकाऱ्याचा ‘एसआयटी’मध्ये समावेश करता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच याबाबत बुधवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) या प्रकरणाचा तपास केला जात असून पानसरे कुटुंबीयांनी त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले होते. तसेच तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीची यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दखल घेऊन पानसरे यांची हत्या करणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्यात विशेष तपास पथक अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याच्या पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीवर राज्य सरकारला काही तरी निर्णय घ्यावाच लागेल, असे सरकारला सुनावले होते. त्याचबरोबर पानसरे कुटुंबीयांच्या मागणीवरील निर्णयाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी महाराष्ट्र गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखांचे पत्र न्यायालयात सादर करून एटीएसदेखील राज्य सरकारचीच तपास यंत्रणा असून पानसरे हत्या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यास सरकारचा काहीच आक्षेप नसल्याचे विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने तपास वर्ग केला नाही तर एसआयटीची रचना बदलण्याची तयारीही मुंदरगी यांनी दाखवली.

एटीएसकडून शोध...

पानसरे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कन्नड अभ्यासक एम. एम. कलबुर्गी आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या तपासात एटीएसनेच धागेदोरे शोधले होते. एटीएसने २०२० मध्ये औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणात काहीजणांना अटक केली होती. त्यातून या चारही हत्यांचे सूत्रधार सारखेच असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तसेच फरारी आरोपी सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनीच पानसरे यांच्यावर गोळीबार केल्याचे त्यातील आरोपींच्या चौकशीत उघड झाले होते, असे पानसरे कुटुंबीयांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर या सर्व प्रकरणांमध्ये एक समान धागा आहे हे आमचेही म्हणणे आहे. त्याचवेळी फरारी आरोपींना कोणतीही तपास यंत्रणा शोधू शकलेली नाही हेही आम्ही नाकारलेले नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

ठाण्यातील सुपरमॅक्स कंपनीच्या कामगारांचे कामबंद आंदोलन

ठाणे : तीन हात नाका परिसरातील सुपरमॅक्स या कंपनीतील कामगारांनी सोमवारी दुपारी एकदिवसीय कामबंद आंदोलन केले. मागील अडीच महिन्यांपासून कामगारांना वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे हे कामबंद आंदोलन करण्यात आले, अशी माहिती कामगारांनी दिली. ठाणे शहरातील तीन हात नाका परिसरात मागील ४० वर्षांपासून सुपरमॅक्स पर्सनल केअर कंपनी आहे. या कंपनीत ब्लेड तसेच त्यासंबंधित साहित्य बनविण्यात येते. या कंपनीत १२०० कामगार आहेत. मात्र मागील अडीच महिन्यांपासून कंपनीने या कामगारांना वेतन दिले नाही. याबद्दल कामगारांनी कंपनीच्या प्रशासनास वारंवार विचारणा केली असता कंपनीकडून ठोस असे उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे कामगारांनी सोमवारी कामबंद आंदोलन केले.

राज्यात ८३० जणांना करोनाची बाधा

मुंबई : राज्यात सोमवारी ८३० रुग्ण नव्याने आढळले आहेत, तर १०२४ रुग्ण करोनामुक्त झाले. राज्यात सोमवारी एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. राज्यातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या १३ हजारांच्या खाली गेली असून सध्या १२ हजार ८०८ रुग्ण उपचाराधीन आहेत.

ठाणे जिल्ह्यात ९३ बाधित

ठाणे जिल्ह्यात सोमवारी ९३ करोना रुग्ण आढळून आले आहेत, तर जिल्ह्यात एका रुग्णाचा मृत्यू झाला. जिल्ह्यातील एकूण रुग्णांपैकी नवी मुंबईत ३२, ठाणे २४, मीरा-भाईंदर १८, कल्याण- डोंबिवली सात, ठाणे ग्रामीण सहा, उल्हासनगर चार, भिवंडी आणि बदलापूर पालिका क्षेत्रात प्रत्येकी एक रुग्ण आढळून आला आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात करोनाच्या उपचाराधीन रुग्णांची संख्या ७५८ आहे.

Maharashtra National Law University Mumbai
(Established by Maharashtra Act No. VI of 2014)
2nd Floor ,CETTM-MTNL Building, Technology Street, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai - 400076
Tel.: 022-25703188
MUMBAI धर्मे तत्परता

APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING COURSES

M.A. (Mediation & Conflict Resolution) Fees: ₹ 1,75,000/- No. of Seats: 50
MBA (Corporate Finance, Banking & Law) Fees: ₹ 5,00,000/- * No. of Seats: 50
MBA (International Business, Taxation & Law) Fees: ₹ 5,00,000/- * No. of Seats: 50
M.IPR (Master of Intellectual Property Rights) Fees: ₹ 1,60,000/- * No. of Seats: 60

Duration of all courses/programs: 2 Years (Hybrid Mode)
Eligibility: Graduation in any stream from a recognized university.
Entrance Exam/Interview/Screening test shall be conducted for admission to the MBA and M.IPR programs. The last date to submit the application form is 30th August 2022. Instructions can be downloaded from www.mnlumumbai.edu.in
*Please Note that the fees can be paid in four instalments.
For more information Call: +91-98205 50881 / 99691 13864
Dated: 1st August 2022
Sd/-
Prof. (Dr.) Anil G. Variath
Registrar(I/c)

MTNL
व्यावसायिक, विद्यार्थी, गृहिणींनो...
येथे लक्ष द्या!
एमटीएनलचे
डायरेक्ट सेलिंग एजंट (डीएसए) व्हा
आणि एमटीएनल तुम्हाला आकर्षक कमिशन मिळवण्याकरिता मदत करेल.
लँडलाईन, ब्रॉडबँड, लीज लाईन, एफटीटीएच इ. साठी एमटीएनएलचे विक्री भागीदार व्हा.
पात्रता, कमिशन, नोंदणीची प्रक्रिया आणि अधिक तपशिलाकरिता www.mtnlmumbai.in/dsa येथे लॉगऑन करा.
संपर्क: 022 2437 6115. नोंदणीकरिता https://pms.mtnlmumbai.in/dsa_lead.aspx येथे भेट द्या.

सांस्कृतिक मंत्रालय
भारत सरकार
आज़ादी का अमृत महोत्सव
हर घर तिरंगा
13-15 अगस्त 2022
स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षी, स्वातंत्र्याचा
अमृत महोत्सव साजरा करू या
घराघरांतून तिरंगा फडकवू या

"हे वर्ष आपण स्वातंत्र्याचे ७५वे वर्ष साजरा करणार आहोत, चला तर सर्वजण एक होऊन तिरंगा अभियान सशक्त बनवू या. १३ ते १५ ऑगस्ट दरम्यान आपल्या घरावर तिरंगा फडकवा किंवा प्रदर्शन करा. या अभियानाद्वारे राष्ट्रीय ध्वजासमवेत आपले संबंध अधिक बळकट करू या."
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान
१३ ते १५ ऑगस्ट २०२२
आपल्या घरावर तिरंगा फडकवा
आजच www.harghartiranga.com यावर भेट द्या
आपला तिरंगा भारताच्या नकाशात चिन्हांकित करा
तिरंग्यासमवेत स्वतःची सेल्फी अपलोड करा आणि मित्रमंडळीसमवेत शेअर करा
आजच आपले सोशल मिडिया प्रोफाईल पिक्चर तिरंग्यासोबत जोडा आणि या अभियानातील आपला सहभाग निश्चित करा
तिरंगा आपल्या जवळच्या पोस्ट ऑफिस व फेअर प्राईज शॉप्समधून खरेदी करू शकता
तुम्हास पोस्टमनद्वारा तिरंग्याची दरवाजापर्यंत पोचवणीसुद्धा उपलब्ध आहे
ई-कॉमर्स पोर्टलद्वारा तिरंग्याची ऑर्डर देता येईल
तिरंग्याच्या मोठ्या स्वरूपातील खरेदीकरिता, तुमच्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसला भेट देवू शकाल किंवा GeM पोर्टलवरून ऑर्डर करता येईल - http://ccc.cept.gov.in/ServiceRequest/request.aspx
CBC 09101/13/0008/2223

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd
नोंदणीकृत व मुख्य कार्यालय : ८७, एम.जी.रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१.
सीआयएन क्र. : एल६६०००एमएच१९१९जीओआय०००५२६, आयआरडीए रजि.क्र.: १९०
टेलि: +९१ २२ २२७०८२६३; फॅक्स : +९१ २२ २२६५२८११
ईमेल : investors@newindia.co.in; वेबसाईट : www.newindia.co.in
१० ऑगस्ट, २०२२ रोजी घेण्यात येणाऱ्या मंडळाच्या सभेची सूचना
याद्वारा सूचना देण्यात येते की सिक्युरिटिज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या संबंधित रेग्युलेशन्सच्या अनुसार कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा, इतर गोष्टींसमवेत, बुधवार, १० ऑगस्ट, २०२२ रोजी घेण्यात येणार आहे :
- ३० जून, २०२२ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता कंपनीचे अलेखापरिक्षित वित्तिय निष्कर्ष विचारात घेण्याकरिता आणि मान्य करण्याकरिता.
- वित्तिय वर्ष २०२१-२२ करिता लाभांशाच्या प्रदानाकरिता अभिलेख तारीख विचारात घेण्याकरिता
- अन्य कोणत्याही प्रकरणांवर कामकाज चालविण्याकरिता, जे मंडळास उचित वाटेल.
उक्त सूचनेची प्रत www.newindia.co.in या कंपनीच्या वेबसाइटवरसुद्धा उपलब्ध आहे.
दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/-
जयश्री नायर
कंपनी सचिव
तारीख : ०१ ऑगस्ट, २०२२
स्थळ : मुंबई